24.4.25

वकील फरीकेन उप०। उपखण्ड कार्यालय की ... की गई।
पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी खसरा
नंबर 2490, 2491, 2492, 2497, 2498, 2518/2519
वादी एवं प्रतिवादी की मौरूसी खातेदारी आराजी है
अतः विवादित आराजी में इकरारनामे के आधार
पर प्लाटिंग की जा रही है एवं कृषि स्वरूप बिना
संपरिवर्तन कराये परिवर्तित किया जा रहा है अतः
अतीक खान पुत्र नबील खान के पक्ष में बिना रजिस्ट्री
इकरारनामे द्वारा अमीन पुत्र शकूर अली को पूरी भूमि विक्रय
कराने हेतु एवं बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि
का अनुचित उपयोग करने पर RTO की धारा 177
के तहत तैयार पेश करने के लिए तहसीलदार
को तहरीर जारी होकर उप० पत्र इसी स्तर पर
शामिल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर [illegible] दाखिल दफ्तर
हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.08.16 14:23:02 IST
Reason: SelfAttested